

**गिरिडीह समारहणालय
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)**

**झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015
के तहत एस.आई.ए. प्रतिवेदन का सारांश**

1. परियोजना का नाम :- गिरिडीह बाईपास रोड, जिला-गिरिडीह ।
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :- AMCS PVT. LTD., Ranchi.
3. परियोजना समन्वयक :- श्री संजय कुमार सिंह एवं दल
4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार एवं परियोजना क्षेत्र और एस.आई.ए. द्वारा आच्छदित प्रभावित क्षेत्र :-

| क्र. | मौजा का नाम | थाना संख्या | अंचल | कुल रकवा (एकड़ में) | क्र. | मौजा का नाम | थाना संख्या | अंचल | कुल रकवा (एकड़ में) |
|------|------------------|-------------|---------|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 1 | चतरो | 266 | गिरिडीह | 2.4940 | 13 | लोहपिट्टी | 108 | गिरिडीह | 3.2690 |
| 2 | मंझलाडीह | 267 | गिरिडीह | 14.9470 | 14 | तेलोडीह | 109 | गिरिडीह | 5.4396 |
| 3 | गादी श्री रामपुर | 268 | गिरिडीह | 24.6800 | 15 | सुन्दरटाँड़ | 76 | गिरिडीह | 8.0542 |
| 4 | पुरनानगर | 239 | गिरिडीह | 10.2510 | 16 | सिकदारडीह | 82 | गिरिडीह | 4.5229 |
| 5 | टिकोडीह | 279 | गिरिडीह | 5.7910 | 17 | तोहियोडीह | 81 | गिरिडीह | 9.6600 |
| 6 | चुंजका | 238 | गिरिडीह | 13.8620 | 18 | मानिकलालो | 86 | गिरिडीह | 3.5931 |
| 7 | चिलगा | 225 | गिरिडीह | 3.8540 | 19 | चन्दनडीह | 87 | गिरिडीह | 12.9170 |
| 8 | अकदोनीकला | 223 | गिरिडीह | 10.4070 | 20 | मसीपीडी | 89 | गिरिडीह | 8.1145 |
| 9 | बक्शीडीह | 195 | गिरिडीह | 20.9220 | 21 | हरीचक | 90 | गिरिडीह | 8.4400 |
| 10 | जरीडीह पचम्बा | 104 | गिरिडीह | 1.5150 | 22 | कोयरीडीह | 48 | गिरिडीह | 0.9880 |
| 11 | करहरवारी | 194 | गिरिडीह | 2.4958 | 23 | सोनबाद | 49 | बेंगाबाद | 3.3020 |
| 12 | पाण्डेयडीह | 107 | गिरिडीह | 0.5560 | कुल | | | | 180.0751 |

5. एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिय गये उपसंहार निम्न प्रकार हैं :-
 - प्रस्तावित परियोजना पथ उन्नयन से संबंधित है। उक्त परियोजना से लोगो के आवगमन में काफी सुविधा होगी, जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
 - गिरिडीह बाईपास रोड से लगभग 610 परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि पर 221 संरचनाएं एवं 1210 वृक्ष अवस्थित है, जिसके लिए समुचित मुआवजा का प्रावधान किया गया है।
 - यह एक रेखीय परियोजना है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। सभी प्रभावित परिवारों की सभी अवश्यकताओं को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
 - कुल 21 परिवार को विस्थापित होना पड़ेगा। अन्य प्रभावित परिवारों की आंशिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर माप योग प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है।
 - सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन गिरिडीह जिला के वेबसाईट www.giridih.nic.in एवं जिला भू अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में देखा जा सकता है।

ह./-

उपायुक्त-सह-समाहर्ता,
गिरिडीह।